इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 143] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 31 मार्च 2022—चैत्र 10, शक 1944

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2022

क्र. 527-627-2022-ए-सोलह.—ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 6 द्वारा शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति को, उक्त अधिनियम के अध्याय-तीन के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नियुक्त करती है और यह निर्देश देती है कि वह अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग उक्त अनुसूची के कालम (3) में विनिर्दिष्ट अधिकारिता की सीमाओं के भीतर करेगा, अर्थात्:—

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	अधिकारी (2)	अधिकारिता (3)
1	सहायक श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश, इन्दौर	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश

No. 527-627-2022-A-XVI.—In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970) the State Government, hereby, appoints the person specified in column (2) of the Schedule below the Registering Officer for the Purpose of Chapter-III of the said Act and direct that he shall exercise the powers conferred to Registering officer by or under the Act within the limits of the jurisdiction specified in column (3) of the said Schedule, namely:—

SCHEDULE

Sr. No. (1)	Officer (2)	Jurisdiction (3)
1.	Assistant Labour Commissioner, Labour Commissioner Office Madhya Pradesh, Indore.	Whole Madhya Pradesh

क्र. 529-275-2022-ए-सोलह.—मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1961 (क्रमांक 26 सन् 1961) की धारा 3 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की पूर्व अधिसूचना क्र. 778-375-2014-ए-सोलह, दिनांक 3 जून, 2014 तथा 1430-375-2014-ए-सोलह, दिनांक 12 सितम्बर, 2014 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, श्री एल. पी. पाठक, उप श्रमायुक्त को मध्यप्रदेश राज्य के लिए प्रमाणकर्ता अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है.

No. 529-275-2022-A-XVI.—In exercise of the powers conferred by Section 3 (a) of the Madhya Pradesh Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1961 (No. 26 of 1961) and in supersession of this department's pervious Notificaion No. 778-375-2014-A-XVI, dated 3rd June 2014 and 1430-375-2014-A-XVI, dated 12th September 2014 the State Government, hereby, appoints Shri L. P. Pathak, Deputy Labour Commissioner, as the certifying Officer for the State of Mahdya Pradesh.

क्र. 531-626-2022-ए-सोलह.—भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है जो उक्त अनुसूची के कालम (3) में यथा विनिर्दिष्ट अधिकारिता के भीतर, उक्त अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करेंगे, अर्थात्:—

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	अधिकारी (2)	अधिकारिता (3)
1	सहायक श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश, इन्दौर	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश

No. 531-626-2022-A-XVI.—In exercise of the powers conferred by Section of the Building and other Construction Workers (Regulation of Employment and Condition of Service) Act, 1996 (No. 27 of 1996), the

State Government here by appoints the officer specified in column (2) of the schedule below, as the Registering Officer for the Purpose of the said Act who shall exercise the powers under the said Act within the jurisdiction as specified in column (3) of the said Schedule, namely:—

SCHEDULE

Sr. No. (1)	Officer (2)	Jurisdiction (3)
1	Assistant Labour Commissioner, Labour Commissioner Office Madhya Pradesh, Indore.	Whole Madhya Pradesh

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जगदीश चंद्र जटिया, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2022.